

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 247]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 22 जून 2017 — आषाढ़ 1, शक 1939

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 15 जून 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 04-04/2011/23 . — जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 (1969 का सं. 18) की धारा 4 की उप-धारा (1) तथा (2), धारा 6 की उप-धारा (1) सहपठित धारा 7 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 4-9/2007/23, रायपुर, दिनांक 05-03-2008 को अधिक्रमित करते हुए एवं ग्रामों में जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण का कार्य 01 जनवरी, 2008 से पंचायत प्रणाली को सौंपे जाने के फलस्वरूप एवं जन सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, जिला पंजीयक (जन्म और मृत्यु) तथा जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी को अंतरिम कालावधि हेतु, उक्त अधिनियम की धारा 17 सहपठित छत्तीसगढ़ जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2001 के नियम 13 के अधीन जन्म और मृत्यु के पंजियों की तलाशी करने तथा प्ररूप 5 (जन्म प्रमाणपत्र), प्ररूप 6 (मृत्यु प्रमाणपत्र) एवं प्ररूप 10 (अप्राप्यता प्रमाणपत्र) जारी करने हेतु प्राधिकृत करती है.

No. F 04-04/2011/23. — In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 4, sub-section (1) of Section 6 read with sub-section (1) of Section 7 of the Registration of Births and Deaths Act, 1969 (No. 18 of 1969), and in supersession of this department's Notification No. F 4-9/2007/23, Raipur, dated 05-03-2008, and as a result of entrustment of work of registration of births and deaths to Panchayat system in villages from 1st January, 2008 and in view of public convenience, the State Government, hereby, authorizes, District Registrar (Births and Deaths) and District Planning and Statistical Officer, for interim period, to search registers of births and deaths under Section 17 of the said Act read with rule 13 of the Chhattisgarh Births and Deaths Registration Rules, 2001 and to issue Form 5 (Birth Certificate), Form 6 (Death Certificate) and Form 10 (Non-availability Certificate).

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिखा राजपूत तिवारी, संयुक्त सचिव.